**न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, (प्रशासन) चितौड़गढ़ (राज.)**
पीठासीन अधिकारी : दीपेन्द्र सिंह राठौड़, आर.ए.एस.

**प्रकरण सं. 15/2014 (रा.प्रा.प.)** **दायर दिनांक– 18.11.2014**

सरकार जरिये तहसीलदार बेंगू,
तहसील बेंगू, जिला चित्तौड़गढ़।

**प्रार्थी**

**बनाम**

श्री पेमा पिता मोती रेगर, के बजाय:–
1. श्री कैलाश पिता पेमा रेगर,
2. श्री शम्भू पिता पेमा रेगर,
3. भूली बाई पिता पेमा रेगर,
सभी निवासी सामरों का लेवा, तहसील बेंगू, जिला चित्तौड़गढ़।

**विपक्षीगण**

राजस्व प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि–आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 (4)

**उपस्थित** :– प्रार्थी :– पैरोकार सरकार
वकील विपक्षी :– श्री छोगालाल जाट

**निर्णय** **दिनांक 04.01.2019**

उपरोक्त अनवान प्रकारण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अप्रार्थीगण के पिता श्री पेमा पिता मोती रेगर, निवासी सामरों का लेवा को मिसल नम्बर 1725/76 दिनांक 24.04.1976 से ग्राम सामरों का लेवा की आराजी नम्बर 101 में से 5 बिघा भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन होकर गैर खातेदारी से दर्ज रेकार्ड है। आवंटन उपरान्त उक्त आराजी 101 में से 5 बिघा भूमि का नामान्तरण संख्या 18 दिनांक 10.10.1977 निर्णित होकर आवंटी श्री पेमा पिता मोती रेगर के आराजी नम्बर 136/101 रकबा 5 बिघा लगान 3.50 रूपये दर्ज हुआ, परन्तु आवंटी का आवंटन भूमि पर कब्जा काश्त नही कर आवंटन शर्तो का उलघंन किया है। आवंटी श्री पेमा की मृत्यु हो जाने से आवंटी के बजाय उनके वारिसान अप्रार्थीगण के नाम नामान्तरण संख्या 212 दिनांक 03.09.2014 से दर्ज है। दिनांक 03.10.2014 को पटवारी पटवार हल्का

रामपुरिया द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नही करने बाबत् रिपोर्ट मय पर्चा मौका प्रस्तुत होने पर ध्यान में आया है। मृतक आवंटी के वारीसान कैलाश,शम्भू, भुलीबाई पिता पेमा रेगर, निवासी सामरो का लेवा के विरूद्ध नियम 14(4) के तहत् कार्यवाही कर खसरा संख्या 136/101 रकबा 0.810 हैक्टर भूमि का आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को विधिवत दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण की सुनवाई हेतु सूचना पत्र जारी किये गये।

प्रकरण पर बहस उभयपक्ष सुनी गयी जिसमें पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराया तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित आवंटन को निरस्त करने की प्रार्थना की है।

प्रकरण पर वकील अप्रार्थी का कथन है कि ग्राम सामरों का लेवा की आराजी नम्बर 101 में से 5 बिघा भूमि विपक्षीगण के पिता श्री पेमा पिता मोती रेगर को वर्ष 1977 में आवंटन की गई है तत्पश्चात् उक्त भूमि आवंटी के कब्जे में है तथा मूल आवंटी की मृत्यु पश्चात् विपक्षीगण/आवंटी के वारिसान के कब्जे में है। उक्त भूमि का आवंटन वर्ष 1977 में होकर अब तक 40 वर्ष से भी अधिक समय व्यतीत हो चुका है। आवंटन से लेकर अब तक विपक्षीगण का एवं विपक्षीगण के पिता का कब्जा रहा है। प्रार्थी द्वारा बिना किसी ठोस आधार पर आवंटन निरस्त कराने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है जो निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र सारहीन होने से खारिज कर विपक्षीगण के पिता को किया गया आवंटन यथावत रखा जावें।

पत्रावली का अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर ग्राम सामरों का लेवा, तहसील बेंगू की आराजी नम्बर 101 रकबा 5 बिघा लगानी 3.50 रूपये का आवंटन विपक्षीगण के पिता श्री पेमा पिता मोती रेगर को दिनांक 24.04.1976 को किया गया जिसका नामान्तरकरण संख्या 18 दिनांक 10.10.1977 को दायर कर आवंटी का नाम गैर खातेदारी हक से

राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया गया। वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2070–73 के खाता संख्या 72 में आराजी नम्बर 136/101 रकबा 0.81 हैक्टर गैर खातेदारी हक से विपक्षीगण के नाम दर्ज है। खसरा गिरदावरी सम्वत् 2066 से लगाकर 2073 तक का अवलोकन किया गया जिसमें उक्त प्रश्नगत आराजी भूमि बीड दर्ज है। जिस पर मौके पर काश्त होना नही पाया जाता है। उपखण्ड न्यायालय की आवंटन पत्रालवी संख्या 1725/1976 पेमा पिता मोती रेगर की जिला अभिलेखागार, जिला कार्यालय चित्तौड़गढ़ से चाही गई जिनके पत्रांक रेकार्ड /06 दिनांक 20.04.2015 से रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि संबंधित पत्रावली जाया(नष्ट) हो जाने से पत्रावली भिजवाया जाना संभव नही है। विपक्षीगण द्वारा उक्त भूमि पर काश्त करने के संबंध में किसी प्रकार का अभिलेख प्रस्तुत नही किया है। उक्त आवंटन हुए 41 वर्ष का समय व्यतीत हो गया है इतने लम्बे समय में भी आवंटी अथवा आवंटी के वारिसान द्वारा भूमि पर काश्त नही किये है जिससे आवंटी/वारिसान द्वारा राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 के नियमों का उल्लघंन किया है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर विपक्षीगण अपना पक्ष साबित करने में विफल रहे है। अतः प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर श्री पेमा पिता मोती रेगर/ विपक्षीगण, निवासी सामरों का लेवा को ग्राम सामरों का लेवा की आराजी नम्बर 136/101 रकबा 5 बिघा भूमि का आवंटन निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार बेंगू को आदेश दिये जाते है कि उक्त आवंटीत भूमि को विंधिवत राजस्व अभिलेख में बिलानाम दर्ज की जावें।

निर्णय आज दिनांक 04.01.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखवाया गया।

**(दीपेन्द्र सिंह राठौड़)**
अतिरिक्त कलक्टर
(प्रशासन), चित्तौड़गढ़